

GCMS
2020/00012
07/01/2021

अज्ञ अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री.....रामा.....

हलका.....निवेलंकोट.....

पुत्र श्री.....भीखा.....जाति.....सांसी

निवासी-.....निवेलंकोट.....

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं.12 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	<p>पटवारी हलका.....<u>निवेलंकोट</u>..... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्.....<u>2077</u>.....में मौजा.....<u>निवेलंकोट</u>.....के खसरा नंबर.....<u>177</u>.....रकबा.....<u>1350 वर्ग फीट</u>.....किस्म भूमि.....<u>गेठु</u>.....पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक.....<u>29-7-2020</u>.....को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
29-7-2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई। गैरसायल अनुपस्थित। पटवारी हलका उपस्थित। गैरसायल के जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-08-2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	

13-8-2020


पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सामल
अनुपस्थित। गैर सामल को एक
और भवत डिमा जाकर पत्रावली
दिनांक 26-8-2020 को पेश हो।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर सामल
अनुपस्थित। पटवारी हल्का उपस्थित।
गैर सामल को प्रतिवली घोषित
करते हुए पत्रावली फेसल सुमार
है। निर्णय अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली है। निर्णय सुके
अभावात् फेसल सुमार है। पत्रावली
फेसल सुमार होकर दाखिल इफतार है।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर


प. निम्बलकोर